



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235899
CG-DL-E-20052022-235899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2202]
No. 2202]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

का.आ. 2322(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों के नामांकन को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1	श्रीमती दीपिका सान्यामत, आईएएस, वस्त्र और रेशम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार	केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4(3)(च) के तहत पश्चिम बंगाल सरकार की अनुशंसा पर नामित

[फा.सं. 25011/17/2019-रेशम]

प्राजक्ता एल.वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2022

S.O. 2322(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following Officers to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification, subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1.	Smt. Dipika Sanyamath, IAS, Commissioner of Textiles and Sericulture, Govt. of West Bengal.	Nominated on the recommendation of Govt. of West Bengal under Section 4(3) (f) of the CSB Act, 1948.

[F.No. 25011/17/2019-Silk]
PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.